

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई ए एस, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 547/2023 (धारा 14 शिक्वोरिटाईजेशन)

कापरी ग्लोबल क्रेडिट लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लॉट नम्बर 13, द्वितीय एवं तृतीय तल, प्रताप नगर,
खातीपुरा, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री साई इन्फोटेक शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री मुकेश कुमार शर्मा,
पता:- 26, प्रताप नगर, मुरलीपुरा, जयपुर
एवं प्लॉट नं. 54, दीप नगर, बैनाड रोड, जयपुर।
2. श्री नन्दराम शर्मा पुत्र श्री गणपति राम,
3. श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र नन्दराम शर्मा,
4. श्रीमती शालू शर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार शर्मा,
पता:- 26, प्रताप नगर, वार्ड नं. 1, गणपति स्कूल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर
एवं प्लॉट नं. 54, दीप नगर, बैनाड रोड, जयपुर।
5. शी नोबल चिल्ड्रन एकेडमी संस्था,
पता :- 26, प्रताप नगर, बुढानिया चौराहा, मुरलीपुरा, जयपुर।
एवं प्लॉट नम्बर 54, दीप नगर, बैनाड रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 13.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.09.2019 पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री श्रवण सिंह के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 54, दीप नगर, बैनाड रोड, जिला जयपुर क्षेत्रफल 248.84 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 51,39,938/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.01.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस हथियार उपलब्ध कराने की भरतदुआ की है।

2. प्राथना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिकारका का गिर से सुना गया। पन्नावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मतीमति अवलोकन किया गया।
3. प्राथी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई वित्तीय 05 भारत 2016 का सरकसेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पन्नावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 51,39,938/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्राथी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 54,09,238/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.01.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः 'The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राथना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री श्रवण सिंह के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नम्बर 54, दीप नगर, बैनाड रोड, जिला जयपुर क्षेत्रफल 248.84 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरथ कायदा जारी हो। पन्नावली नम्बर से कम होकर दारिद्र्य स्वीकार हो।



आदेश आज दिनांक 13.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

पु.प्र.
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर